न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का कुमारी बनाम भंवर S/O हरज्ञान जाटव कुमारी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्व एक्ट

प्रकरण संख्या - RA/32/18 निर्णय दिनांक - 25/2/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कुमारी की खा.ख.न. 454 कुल रकबा 1.01 किस्म जमीन 0.01 में से 0.01 गैरमुमकिन घाट रकबे पर श्री भंवर S/O हरज्ञान जाटव पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर .... कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का कुमारी द्वारा दिनांक 12/6/18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. कठूमर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी भंवर S/O हरज्ञान जाति जाटव निवासी कुमारी को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी भंवर .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त खाता खा.ख.न. 454/1.01 रकबा .... में से 0.01 रकबे किस्म गैरमुमकिन घाट ... अतिक्रमी भंवर ... का अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 63 Paise का 50 गुणा 32/- (बत्तीस रुपये) रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी कुमारी भू.अ.निरी. कठूमर .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज.

प्रतिलिपि :- प. E.

रा. कि. ब. 4 के पृष्ठ सं. 16 क्रमांक 13
वर्ष 2018-19 ... राशि रु. 32/-
... कायमी की गई

11/3/19

तहसील ...
तहसील कठूमर